

कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक :— एफ12(280)सर्वे/संमुवसं/2021-22/ 5866
 निमित् :—

दिनांक :— 19-9-2021

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
 एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान,
 जयपुर।

विषयः— Diversion of 0.1685 hact. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :— FP/RJ/ROAD/40754/2019

संदर्भः—भारत सरकार का पत्रांक 8बी/राज./06/16/2020/एफ.सी./746
 दिनांक 17.07.2020 एवं उप वन संरक्ष. हनुमानगढ का पत्र क्रमांक एफ()सर्वे/उवसं/2021-22/3334 दिनांक 25.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/40754/2019) द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में वन भूमि 0.1685 हैक्टर हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :—

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :— FP/RJ/ROAD/40754/2019

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 168 trees in forest land (Compartment/Survey No. 245/1, Range Nohar Village Sonari, Tehsil Nohar, District Hanumangarh) at the cost of the, user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जिला हनुमानगढ़ की परिभाषित वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. 245/1, ग्राम सोनडी तहसील— नोहर जिला हनुमानगढ़ पर कराया जायेगा। वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा निम्नानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा फॅण्ड में जरिये ई—चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है :— उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़— राशि. रु. 137760/- एवं 7762/- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि व 10000/- पिल्लर निर्माण हेतु चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544 and BARBW21025804083
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1685 ha. forest	यूजर ऐजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की

	<p>area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'able Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.</p>	<p>धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई—चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़— राशि. रु. 73803/- चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544</p>
5.	<p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>सक्षम स्तर से एनपीवी की राशि में बढ़ोतरी होने पर यूजर ऐजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई राशि जमा करवा दी जावेगी। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।</p>
6.	<p>User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.</p>	<p>यूजर ऐजेन्सी द्वारा पेड़ों की कटाई के संबंध में 2900/- रुपये डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवा दिये गये हैं। डिमांड ड्राफ्ट की प्रति संलग्न है।</p>
7.	<p>User agency shall use the land between entry and exit of Petrol pump for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.</p>	<p>यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।</p>
8.	<p>Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.</p>	<p>यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।</p>
9.	<p>Fuel Station should generally be a part of rest area complex having amenities like parking etc. Suitable signs/marking without damaging existing trees.</p>	<p>यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।</p>
10.	<p>Plantation shall also be done along the inside boundary of fuel ststion.</p>	<p>यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।</p>
11.	<p>All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)</p>	<p>यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है। उपरोक्तानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई—चालान जमा करायी गयी है। जमा की गई राशि की रसीद संलग्न है।</p>
12.	<p>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.</p>	<p>इस बिन्दु की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रपत्र में जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल संलग्न है।</p>
13.	<p>Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2013 has to be provided.</p>	<p>इस संबंध में उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
14.	<p>The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.</p>	<p>यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।</p>
15.	<p>Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the</p>	<p>यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।</p>

	MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	
16.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably 'demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
17.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ का No Violation of FCA certificate संलग्न है।
18.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
19.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रस्ताव की अनुपालना रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत कर दी गयी है।

संलग्न :— उक्तानुसार

भवदीय,

(राजेश कुमार जैन)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर

दिनांक :—

क्रमांक :— समसंख्यक /

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(राजेश कुमार जैन)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रमांक : एफ()उवस / सर्वे / 2021-22/3334

दिनांक : 25/06/2021

श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर

विषय:- Diversion of 0.1685 hect. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ12(280)सर्वे / समुवसं / 2020-21 / 1948 दिनांक 03.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र से लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

1. चारों पत्रावलियों में उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ की नामजद मुहर लगाकर प्रतिहस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
2. सी.ए. स्कीम की राशि 225/- श्रमिक दर की बढ़ी राशि से जमा करवाई जा चुकी है।
3. वृक्षों के पातन की राशि प्रयोक्ता अभिकरण से जमा करवाई जा चुकी है।
4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में उप वन संरक्षक का तिथियुक्त मूल प्रमाण पत्र चार प्रतियों में संलग्न है।
5. MoRTH की गाईडलाईस के अनुसार प्रपत्र में तिथियुक्त मूल प्रमाण पत्र चार प्रतियों में संलग्न है।

संलग्न :- चार पत्रावली

भवदीय

25
(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़



ओवधि योजना

E:\Forest 2021-22\Serve (Amin) Sec\General Letter PCA.doc

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

दिनांक : 02/02/2021

क्रमांक : एफ()उवस / सर्वे / 2020-21 / 566

श्रीमान् सम्मानीय मुख्य वन संरक्षक

बीकानेर

विषय:- Diversion of 0.1685 hect. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी/राज./06/16/2020/एफसी/746 दि 17.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट 4 प्रतियों में निम्नानुसार प्रेषित है।-

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 168 trees in forest land (Compartment/Survey No. 245/1, Range Nohar Village Sonari, Tehsil Nohar, District Hanumangarh) at the cost of the, user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जिला हनुमानगढ़ की परिभासित वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. 245/1, ग्राम सोनडी तहसील— नोहर जिला हनुमानगढ़ पर कराया जायेगा। वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा निम्नानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 137760/- एवं 7762/- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि व 10000/- पिल्लर निर्माण हेतु चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544 and BARBW21025804083
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1685 ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the	यूजर ऐजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 73803/- चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544

	Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
6.	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
7.	User agency shall use the land between entry and exit of Petrol pump for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
8.	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
9.	Fuel Station should generally be a part of rest area complex having amenities like parking etc. Suitable signs/markings without damaging existing trees.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
10.	Plantation shall also be done along the inside boundary of Bio-Diesel Plant.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
11.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	उपरोक्तानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जमा की गई राशि की रसीद संलग्न है।
12.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु की पालना मे यूजर ऐजेन्सी द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रपत्र में जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल संलग्न है।
13.	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2013 has to be provided.	प्रमाण पत्र संलग्न है।
14.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
15.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
16.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।

17.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided	No Violation of FCA certificate संलग्न है।
18.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वर्चनवद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
19.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रस्ताव की अनुपालना रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत कर दी गयी है।

संलग्न :— उक्तानुसार


भवदीय



 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

क्रमांक / सम /

दिनांक

प्रतिलिपि Mrs.Suman Devi House No 8, Gali No. 1, Vikas Nagar, Sri Ganganagar (Raj.) को
 सूचनार्थ प्रेषित है।


 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़


 2/3/21

15/0
02/03/21



कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़
क्रमांक : एफ()उवस / सर्वे / 2020-21 /

दिनांक :

शर्त संख्या 13

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 hact. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21.06.2019

प्रमाण-पत्र

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 13 की पूर्ति में यह प्रमाणित किया जाता है कि नयारा एनर्जी लिमिटेड द्वारा एन.एच.-62 (पुराना एन.एच.-15) के चेनेज नं. 209 / 390-309 / 430 दाहिने हाथ की ओर ग्राम - 7BLW किला नं. 21-23, तहसील-पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ राज0 में स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.1685 हैक्टर प्रत्यावर्तन में प्रस्तावित आरओ किसी भी मौजूदा आरओ की निकटता के अनुरूप नहीं है।

2
(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रगाक : एफ()उवस / सर्वे / 2020-21 /

दिनांक :



शर्त संख्या 17

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 haec. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21.06.2019

प्रमाण-पत्र

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 17 की पूर्ति में यह प्रमाणित किया जाता है कि नयारा एनर्जी लिमिटेड द्वारा एन.एच.-62 (पुराना एन.एच.-15) के चेनेज नं. 209 / 390-309 / 430 दाहिने हाथ की ओर ग्राम - 7BLW किला नं. 21-23, तहसील-पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ राजो में स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.1685 हैक्टर प्रत्यावर्तन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

रोवामें

श्रीमान उप वन संरक्षक,
हनुमानगढ़



NAYARA
ENERGY

विषय:- **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh. Proposal No. FP/RJ/ROAD/40754/2919**

रांदर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक ३००/राज./०६/१६/२०२०/एफसी/७४६ दि १६.०६.२०१९

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित चक्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 168 trees in forest land (Compartment No. 245/1, Village- Sonari, Tehsil- Nohar, District- Hanumangarh) at the cost of the, user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 2,21,563/- चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 2,21,563/- चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1685ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/03/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो रांदर्भ है।
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो रांदर्भ है।
6.	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो रांदर्भ है।

Nayara Energy Limited

105, Hukumrai Tower, Residency Road, Khampharia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat, 361 305, India

Nr. Polytechnic College, Dumbri, Rajasthan 342011

T + 91 291265551 | E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office: ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो Khampharia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat, 361 305, India
283366144 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116 | For Nayara Energy Limited
www.nayaraenergy.com

25
(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

25
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Signature

	felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
7.	User Agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
8.	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
9.	Fuel Station should generally be a part of rest area complex having amenities like parking etc. Suitable signs/markings without damaging existing trees.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
10.	Plantation shall also be done along the inside boundary of fuel Station.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
11.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	इस बिन्दु की पालना मे यूजर ऐजेन्सी द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रपत्र में जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल संलग्न है। जमा की गई राशि की रसीद संलग्न है।
12.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु की पालना मे यूजर ऐजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही संलग्न कर दिया जायेगा।
13.	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
14.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
15.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
16.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Additional Forest Officer.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
17.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided	इस बिन्दु की पालना मे यूजर ऐजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक द्वारा जारी No Violation of FCA certificate प्राप्त होते ही संलग्न कर दिया जायेगा।
18.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
19.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रताव की अनुपालना रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत कर दी गयी है।



Authorised Signatory

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

For Nayara Energy Limited

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

Authorised Signatory

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551
E marketing@nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा **Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS)** के दौरान शर्त संख्या 01 की पालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:
 Office Seal & Signature:
 Designation:

Authorised Signatory

C. S.

उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

(करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited
 105, Hukumraj Tower, Residency Road,
 Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551
 E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:
 Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
 T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा **Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh** के दौरान शर्त संख्या 02 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जिला हनुमानगढ़ की परिभाषित वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. 245/1, ग्राम सोनारी तहसील- नोहर जिला हनुमानगढ़ पर कराया जायेगा। वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited


 Authorised Signatory


 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
 T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

Nayara Energy Limited

105, Hukumraj Tower, Residency Road,
 Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com


 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 03 की पालना में CA Land के Survey, Demarcation एवं स्थायी पिल्लरों के निर्माण Sparator Is land इत्यादि का निर्माण वन विभाग की निगरानी में यूजर ऐजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का 10 वर्षों तक मैटेनेन्स किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited


 Authorised Signatory

c.s.


 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I/We **NAYARA ENERGY LIMITED** have applied for diversion of 0.1685 hectare of forest area for the purpose of **Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.** I/We, hereby, undertake to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I/we also hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

25
 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited
 105, Hukumraj Tower, Residency Road,
 Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551
 E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:
 Khamblalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
 T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com



Condition No. 15
NAYARA
ENERGY

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 05 की पालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. का धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाएगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

[Signature]
Authorised Signatory

C.S.
[Signature]
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

[Signature]
(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited
105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551
E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:
Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com



Condition No. 06
NAYARA
ENERGY

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 06 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों की कटाई वन विभाग गहरी निगरानी में ही काटे जायेंगे एवं पेड़ों की कटाई की लागत यूजर ऐजेन्सी द्वारा राज्य के वन विभाग में जमा करा दी जायेगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited


Authorised Signatory

C.S.

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़


(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited
105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 265551
E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:
Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 07 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण के लिए पेट्रोल पंप के प्रवेश और निकास के बीच की भूमि का उपयोग करेगी, उसी को 2 फीट की दीवार द्वारा सीमांकित किया जाएगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।


Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:
 Office Seal & Signature:
 Designation:

For Nayara Energy Limited


 Authorised Signatory

C.S.

 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़


 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited
 105, Hukumraj Tower, Residency Road,
 Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 291 2655551
 E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:
 Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
 T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 08 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा पेट्रोल पंप के परिधि के आसपास उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा हरियाली को बनाए रखा जाएगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020


Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited


 Authorised Signatory


 उष वन संरक्षक
 हनुमानगढ़


 (करण सिंह)
 उष वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 09 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा पेट्रोल पंप पर पार्किंग आदि जैसी सुविधाएं एवं सानेज उपलब्ध करवायेगी बिना मौजूदा पेड़ों को कोई नुकसान पहुंचाये। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited


Authorised Signatory

C. S-


उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़


(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 10 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा पेट्रोल पंप की बाउण्ड्री के साथ वृक्षारोपण किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited



Authorised Signatory

C.S.

 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़


 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited
 105, Hukumraj Tower, Residency Road,
 Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 291 2655551
 E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:
 Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
 T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 14 की पालना में यूजर ऐजेन्सी इस हेतु सहमति प्रदान करती है कि इस अनुमोदन के तहत डायवर्सन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना के जीवन के पक्ष में, जो भी कम हो, पट्टे की अवधि के साथ कोटरमिनस होगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Nayara Energy Limited


 Authorised Signatory

C.S.

 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़


 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Registered Office:
 Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
 T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 15 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा और MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018. के अनुसार कार्रवाई की करने की सहमति प्रदान करती है।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited


 Authorised Signatory




 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़


 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 16 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा सम्बन्धित सम्भागीय वन अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार ही प्रोजेक्ट की लागत पर प्रत्यावर्तित वन भूमि का जमीन पर डिमार्केशन किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

e. S.

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Registered Office:

Khamblalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | **F** +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 18 की पालना में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसी भी अन्य स्थिति में वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संरक्षण और विकास के हित में समय—समय पर निर्देशित कर सकता है। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी सहमति प्रदान करती है।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

C. S.
 20
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

(करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

(करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर ऐन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 19 की पालना में यूजर ऐन्सी द्वारा सभी शर्तों की पूर्ति कर पालना रिपोर्ट को ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड कर दिया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

c. १ -

 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़


 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़



कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रमांक : एफ()उवस / सर्वे / 2020-21 /

दिनांक : 25/6/21

शर्त संख्या 13

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 hact. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh.**

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21.06.2019

प्रमाण—पत्र

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 13 की पूर्ति में यह प्रमाणित किया जाता है कि नयारा एनर्जी लिमिटेड द्वारा एन.एच.-62 (पुराना एन.एच.-15) के चेनेज नं. 209 / 390-309 / 430 दाहिने हाथ की ओर ग्राम - 7BLW किला नं. 21-23, तहसील-पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ राज0 में स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर सम्पर्क सङ्क के निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.1685 हैक्टर प्रत्यावर्तन में प्रस्तावित आरओ किसी भी मौजूदा आरओ की निकटता के अनुरूप नहीं है।

25
(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

25
(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रमांक : एफ()उवस / सर्व / 2020-21 /

दिनांक : 25/6/2021

शर्त संख्या 17

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 hact. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh.**


File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: 21.06.2019

प्रमाण—पत्र

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 17 की पूर्ति में यह प्रमाणित किया जाता है कि नयारा एनर्जी लिमिटेड द्वारा एन.एच.-62 (पुराना एन.एच.-15) के चेनेज नं. 209 / 390—309 / 430 दाहिने हाथ की ओर ग्राम — 7BLW किला नं. 21—23, तहसील—पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ राज0 में स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.1685 हैक्टर प्रत्यावर्तन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।


 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़


 (करण सिंह)
 उप वन संरक्षक
 हनुमानगढ़

OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST, HANUMANGARH
PROFORMA FOR VERIFICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

1	Name of Regional Office	Regional Chief Conservator of Forest, Bikaner					
2	State/District/Forest Division to which the proposal relates	Rajasthan/Hanumangarh/Hanumangarh					
3	Name of User Agency, nature of proposal	NAYARA ENERGY LIMITED (FORMELY ESSAR OIL LTD.)					
4	Nature and category of proposal	Approach Road					
5	Proposal number	FP/RJ/ROAD/40754/2019					
6	Extent of forest area involved	0.1685 Hact.					
7	Whether original or extension	Original					
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, Nil specify						
9	Date of 1st Stage clearance	746 Date 17.07.2020					
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz						
	(a) Compensatory Afforestation	145522					
	(b) Additional Compensatory Afforestation	0					
	(c) Penal Compensatory Afforestation	0					
	(d) Catchment Area Treatment	0					
	(e) Wildlife Management Plan	0					
	(f) Additional charges for diversion of area filling under notified/protected area	0					
	(g) Net Present Value	73803					
	(h) Any other charges/levels (Please specify)	10000					
		Total 229325					
11	Whether payment made through challan or otherwise. In case of online payment, Online details or challan						
12	Details of deposits						
S.No	Type of deposit {NPV/CA/IWMP/Others (specify)}	Whether by RTGS/DD/ NEFT (Specify)	UTR/ DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of deposit	Name of Bank from which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	CA	CHALLAN	BARBH20252887544	137760	08.09.2020	NA	Corporation Bank Lodhi Complex New Delhi 110003
2	NPV			73803	08.09.2020		
3	OTHER			10000	08.09.2020		
4	CA		BARBW21025804083	7762	25.01.2021		
				Total	229325		

(KARAN SINGH)
Dy. Conservator of Forest
Hanumangarh

(करण सिंह)
उप बन संस्करक
हनुमानगढ़



बैंक ऑफ बडोदा
Bank of Baroda

श्रीगंगानगर - ३३५००१
SRIGANGANAGAR - 335 001
RTGSNEFT IFSC CODE BARBOSRIGAN
08150015181192

दिमांड | DEMAND
ड्राफ्ट | DRAFT

2 5 0 ७ २ ० २ १
D D M M Y Y Y Y
9 8 7 6 5 4 3 2 1

गांगे जाने पर UP VAN SAN RAK SHAIK

On Demand Pay

रुपये . One Thousand Rupees

Nine Hundred creep —

अदा करें ₹ २९५०/-

४ ३ २ १

मूल पास हुआ /FOR VALUE RECEIVED
PURCHASER NAME: CH JR GRAM GHOSA PILING STATION

कृते बैंक ऑफ बडोदा

For Bank of Baroda Ltd.
DD Sriganganagar, As
Per Guidelines

Drawn by
DD/2015/MR
(DD Alpha Prefix)

अदाकर्ता शाखा / Drawee Branch
HANUMANA (HANUMANA)

संस्थान प्रबंधक / Joint Manager
H.S.N. / S.S. NO. (२५२२४)

०० ३४८०५० ३३५०१२०० २१ २००८ १५ ०१ १६

AGENCY COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 08-09-2020

Agency Name.	NAYARA ENERGY LIMITED
Application No.	6140754392
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/16/2020/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	105-106, Hukumraj Tower, Residency Road, Jodhpur
Amount(in Rs)	221563/-

Amount in Words : Two Lakh Twenty-One Thousand Five
Hundred and Sixty-Three Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following
details;**

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856140754392 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 08-09-2020

Agency Name.	NAYARA ENERGY LIMITED
Application No.	6140754392
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/16/2020/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	105-106, Hukumraj Tower, Residency Road, Jodhpur
Amount(in Rs)	221563/-

Amount in Words : Two Lakh Twenty-One Thousand Five
Hundred and Sixty-Three Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following
details;**

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856140754392 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampainfo@corpbank.co.in

Print**Back**

UTI2- BARBH0252887544



AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-01-2021

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-01-2021

Agency Name.	NAYARA ENERGY LIMITED
Application No.	6140754949
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/16/2020/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	105-106, Hukumraj Tower, Residency Road, Jodhpur
Amount(in Rs.)	7762/-

Amount in Words : Seven Thousand Seven Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856140754949 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Agency Name.	NAYARA ENERGY LIMITED
Application No.	6140754949
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/16/2020/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	105-106, Hukumraj Tower, Residency Road, Jodhpur
Amount(in Rs.)	7762/-

Amount in Words : Seven Thousand Seven Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856140754949 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

VTRM
BAPPD W 210258 040821
25-1-2021



कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रमांक: एफ / सर्वे / उवसं / 2020-21/176



दिनांक: ०७/०१/२०२१

नायरा एनर्जी लि0, 105-106,
हुकुमराज टॉवर रेजीडेंसी रोड
नियर पॉलिटेक्निक कॉलेज
जोधपुर, राजस्थान।

विषय :- Diversion of 0.1685 ha. of forest land in favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed NAYARA ENERGY LIMITED (Formaly Essar Oil Limited) Retail outlet on Suratgarh-Sriganganagar Road (NH-62) Between Chainage Ms Stone No. 209/390-209/430 (RH5) Village 7BLW District Hanumangarh (proposal No. FP/RJ/ROAD/40754/2019)

प्रसंग :- श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर का पत्रारंक 10138-45 दिनांक 23.12.

2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.08.2020 से श्रमिक दर 213/- रु से 225/- रु प्रति दिवस होने के कारण दिनांक 19.08.2020 से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 213/- रु से बसूल की गई है तो श्रमिक दर 225/- रु प्रति दिवस से बसूल करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः आप द्वारा पूर्व में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 137760/- (एक लाख सेंतीस हजार सात सौ साठ मात्र) 213/- प्रति श्रमिक दिवस से जमा करवाई गई है। अतः अंतर की राशि 7762/- रु कैमा फण्ड में जरिये ई-चालान से जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सकें।

25
(कृष्ण सिंह)

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

दिनांक ०७/०१/२०२१

क्रमांक / सम / १७७-७४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, पीलीबंगा।

2. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री प्रेमकुमार जाट निवासी मकान नं.8, विकास नगर, श्रीगंगानगर।

25
राज वन संरक्षक
हनुमानगढ़

122

Office Of The District Collector and District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

No. F.21()() NOC/Jud./2020/ **17625**

Date: **20/10/2020**

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.- 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.1685 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nayara Energy Limited for Construction of Approach Road for Proposed **Proposed Private Industrial Property** of Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone- 209+390 to 209+430(RHS) Pather no 40/247(56) kila no 21,22 &23 at Village 7 BLW, Tehsil Pilibanga, District Hanumangarh.

It is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1685 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub- Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure ...
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above



Collector & District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

No. F.21()() NOC/Jud./2020/ **17626 -27**

Date: **20/10/2020**

Copy to :-

- 1- DCF Hanumangarh.
- 2- Smt. Suman W/o Perm Kumar, House No 8, Gali No 1, Vikas Nager, Sri Ganganagar (Rajasthan)

Add. Collector & Add. District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

क्रमांक:- एफ 21() () एनओसी/न्याय/2020/१८१६३

दिनांक :- ५४/ १० / 2020.

—: बैठक कार्यवाही विवरण :—

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/राज/06/22/2015/एफ.री./200 दिनांक 02.06.2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) के पत्रांक प.6 (14)प्रसू/अनु-3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में दिनांक 06.10.2020 को 12 पी.एम. पर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के संबंध में जिला स्तरीय समिति हनुमानगढ़ की बैठक जिला कलक्टर कक्ष में रखी गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुऐ :—

1. जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़।
4. उपवन संरक्षक हनुमानगढ़।

उक्त बैठक में प्रस्तावित वन भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 पर स्थित चक 7 बीएलडब्ल्यु के प0न0 40/247, कि0न0 21/0.026 हैकटेयर, 22/0.228 हैकटेयर कुल 0.254 हैकटेयर भूमि पर नायरा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) जोधपुर द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) पर वाहनों के आवागमन हेतु 0.254 हैकटेयर भूमि के प्रस्ताव के संबंध में जिले के उपर्युक्त अधिकारी पीलीबंगा, विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा एवं ग्राम पंचायत खोथांवाली तहसील पीलीबंगा की गठित कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार हनुमानगढ़ जिले के अधीनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकारों हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है।

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 पर स्थित चक 7 बीएलडब्ल्यु के प0न0 40/247, कि0न0 21/0.026 हैकटेयर, 22/0.228 हैकटेयर कुल 0.254 हैकटेयर भूमि पर नायरा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) जोधपुर द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 62 से रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) पर वाहनों के आवागमन हेतु कुल 0.254 हैकटेयर भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में प्रस्ताव की सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।

उपर्युक्त वन संरक्षक
हनुमानगढ़
(सदस्य)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कलक्टर हनुमानगढ़
(सदस्य)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद हनुमानगढ़
(सदस्य)

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
(अध्यक्ष)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीलीबंगा

क्रमांकः—

दिनांकः—17.09.2020

बैठक कार्यवाही विवरण


श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के पत्रांक एफ.17 ००न्याय/विविध/2020/15311 दिनांक 04.09.2020 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में आज दिनांक 17.09.2020 को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थित अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है।


- 1.उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
- 2.विकास अधिकारी पीलीबंगा
- 3.क्षेत्रिय वन अधिकारी पीलीबंगा

बैठक में जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ के विचाराधीन प्रकरण मुरब्बा नम्बर 6, प. न.40/247 किनन.21,22,0 23 गांव 7 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर नया रिटेल आडटलेट (पटोल पम्प) एवं मु.न.55 किपन.21 ता 25 चक बीएलडब्ल्यू नजदीक जी.आर ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल) स्थापित करने बाबत के संबंध में चर्चा की गई क्षेत्रिय वन अधिकारी पीलीबंगा के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रीमती सुमन पत्नी प्रेमकुमार की प्रस्तावित भूमि व सडक के मध्य 00.1685 है. एंव director Juggler HAWK ind pvt ltd की प्रस्तावित भूमि के मध्य 0.2239 है.वन भूमि है जिसका गजट नोटिफिकेशन राजस्व विभाग द्वारा protected Forest है। प्रस्तावित भूमि वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एंव संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी दावे लग्भित या प्रक्रियाधीन नहीं है। इस बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 एंव संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकारी के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विकास अधिकारी पीलीबंगा द्वारा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त के संबंध में ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2020 प्रस्ताव संख्या 03 लिया गया। जिसमें अनापति प्रमाण—पत्र जारी करने की अनुशंसा की गई। जिसकी कार्यवाही संलग्न है।
अंत में बैठक संधन्यवाद समाप्त की गई।

+
क्षेत्रिय वन अधिकारी
पीलीबंगा


विकास अधिकारी
पंचायत समिति
पीलीबंगा


प्रियंका तलानिया RAS
उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा

कार्यालय ग्राम पंचायत खोथांवाली पंचायत समिति पीलीबंगा

क्रमांक :- ५०

दिनांक - १७-९-२०


श्रीमान् विकास अधिकारी,
पंचायत समिति पीलीबंगा।

विषय— ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2020 प्रस्ताव संख्या 03 के सबंध में।

आज दिनांक 17.09.2020 को ग्राम सभा बैठक का आयोजन सरपंच श्रीमति सुशीला की अध्यक्षता में आयोजित की गई उक्त ग्राम सभा में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निम्नांकित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया जिसकी कार्यवाही निम्नानुसार है।

9. श्रीमति सुशीला	सरपंच अध्यक्ष	
10. श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी		सदस्य
11. श्री अर्मतपाल	कृषि प्रवेक्षक	सदस्य
12. श्री सतेन्द्रपालसिंह	प्राचार्य	सदस्य
13. श्री कलवंतसिंह	उपसरपंच	सदस्य
14. क्षैत्रीय वन अधिकारी		सदस्य
15. श्री मति अर्मतपाल कौर	कार्यकर्ता	सदस्य
16. श्री नीकुराम	राजस्व पटवारी	सदस्य

आज की बैठक में श्रीमति सुमन पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट साकिन चक विकास नगर श्रीगंगानगर द्वारा मुरबा न0 ३६ पत्थर न0 40 / 247 किला न0 21 से 23 चक ७ बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने व मुरबा न0 55 किला न0 21 ता 25 चक ७ बीएलडब्ल्यू मे बायोडीजल इकाई स्थापित करने हेतु अनापति प्रमाण—पत्र चाहा है। उक्त दोनों तरफ रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परांगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है उक्त जगह पर कोई उक्त वन भूमि मे पेड नहीं है सूखे घास व छोटी मोड़ी झांडिया है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नहीं है न ही कोई आवासीय क्षेत्र आवासीय क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं परम्परांगत निवासी क्षेत्र प्रभावित करता है। उक्त प्रावधानों के सबंध में ग्राम पंचायत खोथांवाली पंचायत समिति पीलीबंगा द्वारा अनापति प्रमाण—पत्र जारी करने की अनुषाशा श्रीमान जी को अग्रिम कार्यवाही प्रेषित है।


सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथांवाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

श्रीमति सुशीला
सरपंच
ग्राम पंचायत खोथांवाली
ग्राम पंचायत खोथांवाली
पंचायत समिति, पीलीबंगा

कार्यालय पंचायत समिति पीलीबंगा, जिला परिषद् हनुमानगढ़

क्रमांक:-पं.सं.पी/पं.शा./2020/

दिनांक:-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जिला हनुमानगढ़।

विषय :- मुरब्बा नं.56, प0न0 40/247, कि0न0 21,22 व 23 गांव 7 बी.एल.डब्ल्यू, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) एवं मु0 न0 55 कि0न0 21 ता 25 चक 7 बी.एल.डब्ल्यू, नजदीक जी. आर. ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल)स्थापित करने के संबंध में ग्राम सभा बैठक आयोजन करने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान जी के कार्यालय पत्रांक 16018 दिनांक 04.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आवेदक श्रीमती सुमन पत्नी श्री प्रेम कुमार निवासी नया चक विकास नगर श्रीगंगानगर के द्वारा मुरब्बा नं.56, प0न0 40/247, कि0न0 21,22 व 23 गांव 7 बी.एल.डब्ल्यू, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) स्थापित करने एवं आवेदक Director juggler Hawk Ind. Pvt. Ltd. श्री गंगानगर द्वारा मु0 न0 55 कि0न0 21 ता 25 चक 7 बी.एल.डब्ल्यू, नजदीक जी. आर. ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल)स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा है, उक्त दोनों रकवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधनों के तहत आप द्वारा संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत में ग्राम सभा बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

श्रीमान जी निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत खोथावाली द्वारा ग्राम सभा बैठक का आयोजन कर लिया गया है बैठक कार्यवाही विवरण सलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलग्न:- ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण।

— sc —

(विनोद कुमार रैगर)

RDS

विकास अधिकारी

पंचायत समिति पीलीबंगा

दिनांक:- 17-09-2020

(विनोद कुमार रैगर)

RDS

विकास अधिकारी

पंचायत समिति पीलीबंगा

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति

2019/9/26

१८८

Robert

... জিল

Section 6

(राज.) वर्ष २०२

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

यत/उप समिति

खोया वाल

बैच

पीली गो)

जिला

दृष्टिमानपाल

(राज.) वर्ष 2020-21

क्र होने दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
१	२	३	४	<p>नमू दृष्टिमान की लगातार सार सम्मान कार्य सुनाला अध्यवधि १</p> <p>प्रारंभ छा २</p> <p>जाप की लोहे में कापवाली किए गए सावधान लड़ाकियां बिनार उत्तर की ओर उत्तर ग्राम पंचायत के इस्तेलाय में बन चुआ के विप्रथन का छातुमार हो गया प्रावण पास जल्दी उपर्युक्त भौद्धुम और बुप्पु दृष्टि उत्तर पश्च के छुट्टार सुनकर हाथ से गगड़ा भूक में बन चुआ के विप्रथन के बरे में लिया गया जावनत की वाया गया तु उत्तर स्थान के द्वारा लुकाफ चुआ में कार्य बनवाया गया उत्तर की ओर क्षेत्र छोड़ा जार नाही कार्य बन या प्राप्त स्थान पर ज्ञानी तु ल स्थान पर प्रभु खालित कर दिया कार्य भूकी की कार्य नहीं होगी, लाल कियार दिया स्वतंत्रता के प्रवान वृष्टि में स्वतंत्रता दिया से नियमित नियम राम राम राम राम</p>	

कोर्म बन चुआ दृष्टि हो जाए का ही उत्तर गोमती
चुआ में कार्य बनवाया गया उत्तर शाला हो अम्बापाल
जात जाप की शास किया गया हो जाए उत्तर की चुंबना
दृष्टि से दृष्टि, नियम गया लिया गया राजस्थान
रामानग के द्वारा, भूक लिये बनवाये गये
हो उत्तर चुआ के विप्रथन का प्राप्त स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के दृष्टि, नियम गया गया दृष्टि
राम स्वतंत्रता के नियम में चुआ के स्वतंत्रता
लिये द्वारा ग्राम पंचायत का बोल दृष्टि गया

ग्राम स्वतंत्रता वकायिक समिति की कार्यकारियत

- दृष्टि दिनों के १६-१-२० वाले ग्राम पंचायत वकायिक
खोया वाली में बन कापवाल जाप दिया २०० बड़ा
स्वतंत्रता में छोड़ देने का जाप दिया गया
नियम गया, जिस द्वारा उपर्युक्त हुआ
१. कीमति चुबीला
 २. चुबीलियाला
 ३. चुबराम
 ४. चुबुलियाल मिट्टी
 ५. चुप्पीय बन उपर्युक्त
 ६. चुबुलियाल कार
 ७. चुबुलियाल
- स्वतंत्रता ग्राम स्वतंत्रता दिया
राम स्वतंत्रता दिया
प्राचार
- नियम गया
उपर्युक्त

मुश्तील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नं. १०१.१०१.००१
पंचायत समिति पीलीबंगा

ल

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति

29/2/1910

१८

Wm. H. Davis

... जिला

EZM10216

• (राज.) वर्ष २०२०

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत्र / उप सभिति

২০১৭/১৯/০৬

६८

26 Feb 2011

... जिल

9 10101010

(राज.) वर्ष २०२

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ... १०३१७५
पंचायत समिति पीलीबगा

Digitized by srujanika@gmail.com

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...पो.गा.पा.पा.
पंचायत समिति पीलीबागा

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

यत् / उप समिति

૨૯૨૧૭

१८

~~thru (93))~~

... जिल

ला एकमात्र। ६

(राज.) वर्ष २०२०-२१

क्र होने दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदरयों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदरयों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
२०-०५-२०२४	बैठक का लगाए जाने सार सम्पादन की सुशीला अध्यक्षता	नमै शुभेंदु को लगाए जाने सार सम्पादन की सुशीला अध्यक्षता	नमै शुभेंदु को लगाए जाने सार सम्पादन की सुशीला अध्यक्षता	नमै शुभेंदु को लगाए जाने सार सम्पादन की सुशीला अध्यक्षता	नमै शुभेंदु को लगाए जाने सार सम्पादन की सुशीला अध्यक्षता

कोर्म एवं शुद्धि के लिये जीवन का विकास होता है। इसके अलावा जीवन का विकास विभिन्न रूपों से होता है। जीवन का विकास विभिन्न रूपों से होता है।

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - २०१).३०।४।५।६।
पंचायत नियमित प्रोत्तीवंगा

આંદર્ભિક 16-9-20 નો ગુમાપવારનાનાં
શાયાળી સુધે વન કાયાવ કાયાપિયસ 200 નું
એકલાય ને છુટ બેઠે ના કાયાને કિયા ગયો
મિમાં પુરણ; તેણે હુલ્ય રૂપાલાંતરું
1. કીમારી કૃષીના પ્રદાય કોણાં
2. કૃષીનાંથાં રાનીની શાખાની કોણાં
3. નીલુણું
4. સુતાંડાલ મિં
5. દીનીય વન કાયાપિય
6. વાનુપાલ કાર
7. અણાંદર્ભ

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उद्य समिति

२०१८/१९/१८

बैंच

मीलीबांगा

जिला

जृगाली

(राज.) वर्ष 2020

बैठक में उपस्थित
सदस्यों के हस्ताक्ष

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्ष
1	2	3	4	<p>नहीं हुई हो और पवाल लगानी की बाब्पा के द्वा रा अप्रैल ते पर लम्भत हो सज्ज की बाब्पा गोपनीय की निवास विधि पवाल सभारे सरपंच उमाशर्मा की गई हो निवास समझ आवश्य पवाल सभारे सरपंच से हो गई हो अप्रैल सरपंच की बाब्पा बाब्पा नहीं निवास विधि की सीमान विधि की बाब्पा निवास उपर विधि मार्गिकरण निवास विधि निवास विधि पर जगहों के बाब्पा सभारे बाब्पा बाब्पा बीजानी</p> <p>पहला संग्रह 6</p> <p>काम की गई की सरपंच की द्वारा</p> <p>जामा जापाव का बाब्पा निवास सभारे सरपंच</p> <p>की सीमान विधि की बाब्पा निवास की द्वारा राज्य मार्गिकरण सभारे सभारे बाब्पा निवास इस विधि का बाब्पा की बाब्पा निवास की निवास अपर द्वारा बाब्पा की उपर विधि की</p> <p>प्रमुख प्रश्न-होड़ निवास बाब्पा निवास जामा जापाव की बाब्पा निवास सभारे की बाब्पा निवास बाब्पा सभारे निवास बाब्पा निवास निवास तेजाव निवास बाब्पा निवास बाब्पा निवास की बाब्पा निवास</p> <p>बाब्पा विधि विधि जामा जापाव का बाब्पा निवास जामा जापाव का बाब्पा निवास</p>	6

गानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की नई/मृत्यु/पक्का मकान आदि कारणों से जाना प्रस्तावित है। अतः सार्वजनिक सूची में है तो अपनी आपत्ति व्यक्तिगत शन के सात दिवस में दर्ज करवा देवें।

अपात्र होने का कारण	वि.वि.
पक्का मकान	
पक्का मकान	
पुखिया की मृत्यु एवं परिवार पलायन	

इस आधिकारी, ग्राम पंचायत मालेर

नपुरा (8 वार्ड)

गांश्रीगंगानगर

दिनांक:

ग्राम सूचना

क्र 2011 सूची में से निम्नलिखित परिवारों द्वारा दिया गया है, जिनका नाम वर्तमान पीएमएवाई में से पात्रता रखता है तो अपना आवेदन तक जमा करवें। अन्यथा निधारित समय जम्पेवारी नहीं होगी।

PMAY-ID	केटेगरी	अपात्र होने का कारण
3099319	SC	पलायन
1196873	SC	फौत
230008	SC	पक्का
2100286	Other	पक्का
2088519	SC	पक्का
2914818	Other	पलायन
3571222	SC	लाभ नहीं लेना चाहता
2897453	SC	पक्का
2424038	SC	पलायन
1415947	SC	पलायन
1370616	SC	पलायन
1192448	SC	पलायन
2086739	SC	फौत
1722599	SC	लाभ मिला
3441425	SC	पक्का
3148689	SC	पलायन
3501612	SC	पलायन
2091626	Other	पलायन

सरपंच, ग्राम पंचायत मोहनपुरा

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत 3 एम.के. के राजस्व चक्रों में सर्वे 2011 (सैक) के चयनित निम्न परिवार (व्यक्ति/पलायन/मृत व्यक्ति) पाये गये हैं। अगर कोई व्यक्ति दावा/आपत्ति है तो सात दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय में समयावधि के दौरान अपना दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। अन्यथा इनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सैक 2011 की चयनित सूची में से नाम हटा दिया जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पीएमएवाई आईडी	सैक 2011 में क्रमांक	जाति	अन्य विवरण
1.	मोहन लाल	2362690	68	SC	पलायन
2.	अमरजीत सिंह	2373675	69	SC	पलायन
3.	हनुमान	3482380	148	SC	मृत
4.	बीरबल राम	2285574	61	SC	पलायन (स्वयं का प्रार्थना पत्र)

जसविन्द्र कौर
सरपंच, ग्राम पंचायत 3 एम.के.

ओमप्रकाश
ग्राम विकास अधिकारी

भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवाया परिवर्तन मंत्रालय
दोनों कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment Forest & Climate Change Regional Office (Central Region)

केंद्रीय भवन, पश्चिम तल, सेक्टर, एच अलिंज, काशीनगर, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow, 226024, Telefax- 2326696, email: roczilco_usef@gov.in, lb_env@rediffmail.com

दिनांक: 17.7.2020

सेवा में

शासन सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर (राजस्थान)

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/40754/2019

Sub: Diversion of 0.1685 ha. of forest Land in favour of NAYARA ENERGY LIMITED for construction of approach road for proposed NAYARA ENERGY LIMITED (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail outlet on Suratgarh- Srigananagar Road (NH-62) between chainage Ms. Stone no. 209/390/209/430 (LHS) Village 7BLW District Hanumangarh

संदर्भ:- शासन सचिव (वन) राजस्थान शासन, जयपुर का पत्राक-प.1 (36) वन/2020/जयपुर दिनांक 11.6.2020

महोदय

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव वन विभाग राजस्थान शासन का पत्राक प.1 (36) वन/2020, जयपुर दिनांक 11.6.2020 का आशय ग्रहण करने का काट करो। जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की बाबा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्तुत अनुसारन पर विषयावस्तु मध्ये आपको यह सूचित करने का दिलेंगा हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयाकृत परियोजना हेतु कुल 0.1685 है। सरकारी वनपान के प्रत्यावर्तन एवं 3 वृक्षों के पातान की रीढ़ान्तरिक स्वीकृति निप्रलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. Legal Status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for plantation of 168 trees in forest land (Compartment No. 245/1, Village- Sonari, Tehsil- Nohar District -Hanumangarh) at the cost of the user agency As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 Years. The Scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 0.1685 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003/ 28/03/2008, 24/4/2008 and 9/5/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide Letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/9/2003 as well as Letter No. 5-2/2006 FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007 FC dated 5/2/2009 in this regard.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee. Shall be charged by the state Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state Forest Department and Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the state Forest Department.
7. User agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees. the same shall be demarcated by 2 feet wall.
8. Greenery will be maintained by user agency around periphery of petrol pump.
9. fuel station should generally be a part of rest area complex having amenities like Parking etc. suitable signs marking without damaging existing trees.
10. plantation shall also be done along the inside Boundary of fuel station.
11. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)
12. The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of Prescribed certificate from the concerned District Collector.
13. Certificate of DFO Certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-7-2013 has to be provided.
14. The period of Diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the Mo EF & CC Guideline F No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
16. The Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost. as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
18. any other condition that the ministry of Environment forests & Climate change May stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife.
19. The Compliance report shall be uploaded on e-portal <https://parivesh.nic.in/>

प्राची गंगवारा, उपवन महानीरीक्षक के नीचे

